बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप सं0–2/वि.60–09/2025–....................../ पटना, दिनांक–.............../2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, सुपौल, लखीसराय एवं मधुबनी के कार्यालय के सुचारू रूप से संपादन के निमित आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार जिलों में **₹** 6,00,000/–(छः लाख रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–08 के अधीन बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–001–निदेशन और प्रशासन–0001–कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड–08–2205000010001 के अंतर्गत विषय शीर्ष 1301 कार्यालय व्यय से होगा।
3. इस राशि की निकासी संलग्न विवरणी के अनुसार संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा अपने जिला के जिला कोषागार से की जायेगी एवं जिलों में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के कार्यालय के सुचारू रूप से संपादन के निमित आवश्यक सामग्रियों का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही राशि का व्यय वित्त संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता तथा वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में किया जायेगा।
4. संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी आदि कला एवं संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–2/वि.60–09/2025 के पृष्ठ–32/टि0, दिनांक–09.02.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ–32/टि0, दिनांक–10.02.2026 पर प्राप्त है।
6. यह स्वीकृति वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रूबी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 757/ पटना, दिनांक 13/02/2026

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को विवरणी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बिहार को विवरणी के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/प्रशाखा पदा0–1 एवं 2/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/प्रबंधक, आई0टी0, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के कार्यालय के सुचारू रूप से संपादन के निमित स्वीकृत राशि की विवरणीः–

क्र.	जिला का नाम	राशि
1.	सुपौल	200000
2.	लखीसराय	200000
3.	मधुबनी	200000
	कुल योग :–	**6,00,000** (छः लाख रूपये)

(रूबी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।